an>

Title: Regarding law and order situation in Uttar Pradesh.

श्री विनोद कुमार सोनकर : माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का नारा देकर बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा व सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता व उत्साह पैदा किया है, जो एक सराहनीय कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सोच व अभियान से प्रभावित होकर लोगों में बेटियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है, जहां एक तरफ देश में बेटियों के प्रति लोगों में संवेदना बढ़ी है, वही उत्तर प्रदेश में लचर कानून-व्यवस्था के कारण आए दिन बलात्कार व हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : मैडम, यह स्टेट का विषय है इसे यहां नहीं उठा सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर : जहां एक तरफ देश में बेटियों के प्रति लोगों की संवेदना बढ़ी है, वहीं उत्तर प्रदेश में लचर कानून-व्यवस्था के कारण आए दिन बलात्कार व हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-बडगों पूरेहेम, थाना-मानिकपुर, जनपद-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में दिनांक 18 नवम्बर को कक्षा 10वीं की छात्रा कु. कल्पना पटेल सुबह-सुबह कोचिंग जा रही थी उसी समय कुछ मनचले उसे छेड़ने लगे जिसका विरोध करने पर बाइक से कुचल कर इस बच्ची की हत्या कर दी गई, इसके बावजूद पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देते हुए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के इस रवैये से गांव के लोगों व छात्राओं में भय व्याप्त है। मेरे प्रयास से बाद में पुलिस द्वारा हत्या का मुकद्मा आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया। इस घटना से उस गांव की सभी छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है जिससे दिन-प्रतिदिन महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न व हत्या, अपहरण तथा छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री भैंरो प्रसाद मिश्र, श्री हरिनरायन राजभर और श्री शरद त्रिपाठी को श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।